

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/1989-III/ 627

दिनांक :- 28.8.2018

आदेश संख्या:- 202/2018-19

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं एफ.14(88)एफ.डी./रूल्स/2008 दिनांक 12.01.2018 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिकों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 27 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 6 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स के लेवल L-13 में स्वीकृत की जाती है।

क. सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/ बैच नं.	लिंक नम्बर	कनिष्ठ लेखाकार/ समान लेवल के अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	भीम सिंह मीणा	85/89	4443	11.02.1991	11.02.2018	
2.	हरिश चन्द्र सुलानिया	91/89	2114	11.02.1991	11.02.2018	
3.	मेहराणराम गर्ग	143/89	3864	11.02.1991	11.02.2018	
4.	कैलाश चन्द्र वर्मा	216/89	8444	11.02.1991	11.02.2018	9 वर्ष की एपीएआर की जांच के आधार पर देय
5.	मंगलचन्द्र खीची	306/89	3910	11.02.1991	11.02.2018	
6.	सावंतराम	328/89	5227	11.02.1991	11.02.2018	
7.	मंगलचन्द्र वर्मा	343/89	3917	24.06.1991	24.06.2018	9 वर्ष की एपीएआर की जांच के आधार पर देय
8.	सुरेश चन्द्र वर्मा	346/89	5238	25.07.1991	25.07.2018	
9.	जगदीश प्रसाद	348/89	8430	24.06.1991	24.06.2018	9 वर्ष की एपीएआर की जांच के आधार पर देय
10.	रमेश चन्द्र चितारा	353/89	1962	24.06.1991	24.06.2018	
11.	कैलाश चन्द्र कांसोटिया	355/89	8458	25.06.1991	25.06.2018	9 वर्ष की एपीएआर की जांच के आधार पर देय
12.	रामकरण (वि)	377/89	1965	01.08.1991	01.08.2018	9 वर्ष की एपीएआर की जांच के आधार पर देय
13.	प्रहलाद चन्द बडोदिया	379/89	4879	24.06.1991	24.06.2018	9 वर्ष की एपीएआर की जांच के आधार पर देय
14.	किशनलाल सामरिया	380/89	8463	25.06.1991	25.06.2018	

उपरोक्त कम संख्या 4,7,9,11,12 एवं 13 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम के गत 07 वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 09 वर्ष में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 के पैरा 14(2) एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें—

1. पुरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 6 में उल्लिखित आश्वासित कैरियर प्रगति देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिकों की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

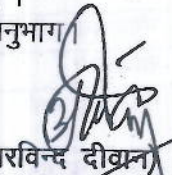

(मंजुला वमा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/1989-111/ 627

दिनांक :- 28.8.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. सहायक निदेशक (एपीएआर शाखा)
3. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1.....
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
5. उपनिदेशक (एसीपी) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्रावली हेतु मूल आवेदन पत्र/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)